ICAR- INDIAN GRASSLAND AND FODDER RESEARCH INSTITUTE
भा.कृ.अनु.परि. –भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान
Near Pahuj Dam, Gwalior Road, JHANSI – 284 003 (U.P.) INDIA
निकट पहुज बॉध, ग्वालियर रोड, झॉसी (उ.प्र.) – 284003 भारत
Phone : 0510-2730908 Fax : 0510-2730833

F.No. 3-4/Str.Pur./Agril.Job works contract/2016-17 Dated: 09.02.2018

प्रति,
M/S बरसन देव ठेकेदार
ग्राम दातार नगर, परवई, पो० पुनावली, जिला, झांसी

विषयः भा.कृ.अनु.सं.– भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, झॉसी में कृषि कार्य बरसीम हरी तथा जई हरी की कटाई एवं ट्राली में भराई की दर प्रति हेक्टेअर के जॉब वर्क हेतु।
संदर्भः आपका कुटेशन दिनांक 06.02.2017 के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त संदभिर्त विषयान्तर्गत अवगत कराना है कि संस्थान के निदेशक महोदय द्वारा संस्थान में कृषि कार्य बरसीम हरी तथा जई हरी की कटाई एवं ट्राली में भराई की दर प्रति हेक्टेअर के जॉब वर्क हेतु 8400/–(रूपये आठ हजार चार सौ रूप्या मात्र) की स्वीकृति प्रदान कर दी है, जिसमें **EPF+ESI+Taxes** (GST यदि लागू हो) भी सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त संबंधित ठेकेदार को संस्थान द्वारा कोई अन्य भुगतान नहीं किया जायेगा तथा ठेकेदार को संस्थान के कार्यों में लगाये गये श्रमिकों की ई.पी.एफ., ई.एस.आई का दस्तावेज प्रक्षेत्र अनुभाग को जमा करके बिल की प्रति के साथ संलग्न होगा। वे ही श्रमिक कार्य पर लगाये जायें जिनका ई.पी.एफ., ई.एस. आई का नं. दिया गया हो तथा उनकी एक सूची प्रक्षेत्र अनुभाग तथा सुरक्षा अनुभाग को उपलब्ध करानी होगी।सभी कार्य निर्धारित समय के अन्दर पूर्ण करने होंगे, इस संबंध में कार्य आदेश फार्म मैनेजर/ओ.आई.सी. फार्म द्वारा जारी किया जायेगा, उसी के अनुसार आपको कार्य करवाना होगा। तदानुसार फर्म का बिल भुगतान हेतु तीन प्रतियों में अपने बैंक विवरण के साथ प्रक्षेत्र अनुभाग में जमा करना होगा। श्रमिकों को भुगतान न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार करना होगा अन्यथा कोर्ट इत्यादि की कार्यवाही के लिये ठेकेदार स्वयं उत्तरदायी होगा। कार्यों का विवरण निम्न प्रकार है–

क्रम सं0	कार्य का विवरण	ई.पी.एफ, ई.एस.आई. एवं सभी करों सहित दर
1.	संस्थान में बरसीम की कटाई एवं उसकी ट्राली में भराई की दर प्रति हेक्टेअर	रू.8400/–
2.	संस्थान में जई की कटाई एवं उसकी ट्राली में भराई की दर प्रति हेक्टेअर	रू.8400/–

ठेकेदार या उसके किसी श्रमिक द्वारा संस्थान या संस्थान से संबंधित किसी सम्पति को कोई नुकसान पहुँचाया जाता है तो उसकी जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी तथा नुकसान की क्षतिपूर्ति की भरपाई ठेकेदार को भरना होगी। कार्य करते समय अगर किसी श्रमिक को कोई नुकसान, चोट या कोई आकस्मिक घटना घटित होती है, तो उसके लिए ठेकेदार ही जिम्मेदार होगा और उसीको उसका निराकरण करना होगा।

किसी भी विवाद की स्थिति में निदेशक, भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा। बिना कारण बताये किसी भी समय उपरोक्त जॉब वर्क या उसका कुछ भाग निरस्त करने का अधिकार पूर्ण रूप से सक्षम अधिकारी का होगा।

संलग्नः 1. **फार्म**–V [See Rule 21(2)] Form of Certificate by Principal Employer.

09/02/2018

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एवं
कार्यालयाध्यक्ष

9/2/18

प्रतिलिपिः–

1. सभी विभागाध्यक्ष/पी.सी. (एफ. सी.), भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, झांसी।
2. वरि0 वित्त एवं लेखाधिकारी, भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, झांसी।
3. प्रशासनिक अधिकारी/आहरण एवं संवितरण अधिकारी बिल एवं कैश अनुभाग, भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, झांसी।
4. सम्पूर्ण प्रभारी, फार्म/वरि0 प्रक्षेत्र प्रबन्धक, भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, झांसी को उनके पत्रांक दिनांक 24.01.2018 के संदर्भ में 20 से 25 हैक्टेयर के संबंध आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित ।
5. डॉ सुल्तान सिंह, विजिलैंस अधिकारी, भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, झांसी।
6. इंचार्ज ए.के.एम.यू को वैबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. व.प्रशा.अधि. एवं कार्यालयाध्यक्ष के निजी सचिव को गार्ड फाइल हेतु।
8. वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी एवं इंचार्ज निदेशक प्रकोष्ठ को सूचनार्थ ।
9. सम्बंधित पंजिका।